सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर
भंवर लाल बनाम सतनाम सिंह व स्टेट
अपील प्रकरण संख्या 35/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
31.05.2018	अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं रिकॉर्ड तलब किया जावें। पत्रावली वास्ते एडमिशन बहस स्थगन दिनांक 18.06.2018 को पेश हो। [signature] पुनश्च: प्रकरण में राज पटवारी उप तहसीलदार (भू. अ.) मुकलावा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। उनसे प्रकरण के संबंध में तथ्यपरक जानकारी ली गई। पूर्व रिपोर्ट में कुछ (SP-1 दि. 31-5-2018) बिंदुओं के संबंध में खुलासा नहीं होने से द्वितीय रिपोर्ट (SP-2 दि. 31-5-2018) प्राप्त की जो दोनों शामिल मिसल की गई। अपील का सारांश है कि अपीलांट चक 4 NP तहसील रायसिंहनगर का काश्तकार है जो अपीलाधीन नामांतरकरण में दर्ज रास्ते का उपयोग करता आ रहा है। इस रास्ते पर खाला स्वीकृति हेतु अधि. अभियंता जल संसाधन दक्षिण खण्ड श्रीगंगानगर ने खाला स्वीकृति जारी की और SDO रायसिंहनगर ने इसकी नियमानुसार जांच कर [illegible] जिसकी पालना की आड़ में उक्त दरम्यान के आदेश दिये [illegible] नामांतरकरण नक्कल तस्दीक कर दिया गया। इससे अपीलांट का हित प्रभावित होकर इसका मार्गाधिकार प्रभावित होगा। रास्ता एवं खाला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबे की सीमा तक दोनों साथ-2 अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। उक्त रास्ता इससे पूर्व अ.मु. रास्ता करारशुदा दर्ज रिकॉर्ड था। लिहाजा अपीलाधीन नामांतरकरण स्पष्टतः गलत होने से खारिज करने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने धारा 96 CPC का प्रार्थना-पत्र भी पेश किया जिसे उपरोक्त तथ्यों के आलोक में स्वीकार कर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रिपोर्ट ली गई। अधिवक्ता अपीलांट को सुना गया। एकमात्र रेस्पोडेंट की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट देखी गई। उन्होंने आज दिनांक 31-5-2018 को मौका देखा, जहां खाला चालू पाया लेकिन रास्ता चालू नहीं है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया गया है कि खण्डीय सिंचाई अधिकारी के निर्णय दिनांक 7.7.2007 में यह कहीं भी नहीं लिखा गया है कि रास्ता में से खाला स्वीकृत किया जावे। [illegible] 3,3,4 किला	

[signature] (प्रशासन)

रास्ता मिन नंबर -461 रकबा 0.379 हे० में से खाला स्वीकृत करते समय खण्डीय सिंचन अधिकारी ने लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली, जो ली जानी होती है। आराजी राज रकबा का स्वामित्व राज्य सरकार का रहता है और उनका प्रतिनिधि मूर्तरूप में लैण्ड होल्डर, संबंधित तहसीलदार होते हैं। बिना उनको सुने या उनके संज्ञान में लाये, कोई आदेश किया गया है तो वह कानूनन वैध नहीं कहा जा सकता। इस प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के आदेश दिनांक 02-05-2016 में नियमानुसार अमल दरामद के निर्देश है परन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय रिकॉर्ड एवं आदेश का परीक्षण पटवारी द्वारा नहीं किया गया है। उक्त मुरब्बा में साढे सोलह फीट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता था, में से पटवारी ने रास्ता व खाला का मिश्रण कर "रास्ता मय खाला" दर्ज कर दिया। साढे सोलह फीट चौड़ाई वाली जगह में रास्ता और खाला दोनों विद्यमान नहीं रह सकते और न ही चल सकते है जो एक व्यवहारिक पहलू है। रास्ते की परम आवश्यकता, जो सिंचन अधिकारी के आदेश दि० 07-07-2007 के पश्चात भी लगभग 11 वर्ष की सुदीर्घ अवधि तक रही और इसके तहत रास्ता कायम रहा जिसे अब एकदम खाला स्वीकृति के फलस्वरूप बंद करने की स्थिति पैदा कर देना है जो व्यवहार्य एवं लोकहित में नहीं है। 16½ फीट की कुल चौड़ाई में खाला होना भी जरूरी है परन्तु इससे पूर्व रास्ता की आवश्यकता महत्ती एवं सुखाधिकार स्वरूप है, जिसे यथावत रखा जाना राज्यहित एवं लोकहित में है। अभिलेखित नामांतरकरण बिना परीक्षण दर्ज किया है जो नियमानुसार सही नहीं है, नामांतरकरण काबिल खारिज है। अपील स्वीकार की जाकर अभिलेखित नामांतरकरण सं० 288 चक 4 HP उप० तहसीलदार, मुकलावा द्वारा स्वीकृत को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पूर्व की स्थिति कायम करने हेतु आदेश दिये जाते हैं, तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद होकर पालना रिपोर्ट हेतु रेस्पोंडेंट को आदेशित किया जाता है।

यह निर्णय आज दि. 3/5/2018 को खुले इजलास सुनाया गया।